

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042021-226699 CG-DL-E-20042021-226699

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] No. 224] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2021/चैत्र 30, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2021/CHAITRA 30, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2021

सं. 23/2021-सीमा शुल्क(एडीडी)

सा.का.नि. 281(अ).—जहां कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 31 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित दिनांक 31 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/30/2019-डीजीटीआर, के अंतर्गत यूरोपीय संघ और वियतनाम (जिसे इसके बाद विषयगत देशों के रूप में सन्दर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "नायलॉन फिलामेंट यार्न (मल्टी फिलामेंट)" (जिसे इसके बाद विषयगत वस्तु के रूप में संभोधित किया गया है) पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 को सा.का. नि. सं. 998(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं. 50/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा लागू किया गया था, के उत्पाद क्षेत्र की समीक्षा करने के मामले में, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उपधारा (5) के अंतर्गत मध्यावधि समीक्षा प्रारंभ की थी;

और जबिक उक्त समीक्षा के मामले में नामित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, में प्रकाशित दिनांक 22 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 7/30/2019-डीजीटीआर में सिफारिश की है कि दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं. 50/2018 - सीमा शुल्क (एडीडी) में बीसीएफ यार्न के तकनीकी क्षेत्र में संशोधन लाया जाये और उच्च डेनीरेज के बीसीएफ यार्न (लगभग 650 डेसिटेक्स से 10000 डेसिटेक्स तक) को प्रतिपाटन शुल्क से मुक्त किया जाये |

2347 GI/2021 (1)

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, नामित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2018 - सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 अक्टूबर, 2018, जिसे सा.का.नि. सं. 998 (अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग--।।, खंड --3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: --

उक्त अधिसूचना में, तालिका के तहत दी गई पाद टिप्पणी में, अंक और शब्द "1650 डेसिटेक्स" के स्थान पर अंक और शब्द "10000 डेसिटेक्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

> [फा. सं. 354/326/2018-TRU (Pt.-I)] गौरव सिंह, उपसचिव

## MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 20<sup>th</sup> April, 2021

No. 23/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 281(E).—Whereas, the Designated Authority, *vide* notification No. 7/30/2019-DGTR, dated the 31<sup>st</sup> January, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 31<sup>st</sup> January, 2020, had initiated midterm review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act ), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said Rules) in the matter of reviewing the product scope of definitive anti-dumping duty imposed on 'Nylon Filament Yarn (multi-filament)' (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from European Union and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2018-Customs (ADD), dated the 5<sup>th</sup> October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3 (i), *vide* number G.S.R.998 (E), dated the 5<sup>th</sup> October, 2018.

And whereas, the Designated Authority in its final findings in the said review, published *vide* notification No. 7/30/2019-DGTR, dated the 22<sup>nd</sup> January, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22<sup>nd</sup> January, 2021, has recommended that the technical scope of Bulk Continuous Filament (BCF) Yarn be amended in the notification No. 50/2018-Customs (ADD) dated the 5<sup>th</sup> October, 2018, to exclude BCF of higher denierage (650 decitex to 10,000 decitex), from the levy of ADD.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 23 of the said Rules, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the Designated Authority, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2018-Customs (ADD), dated the 5<sup>th</sup> October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3 (i), *vide* number G.S.R.998 (E), dated the 5<sup>th</sup> October, 2018, namely:-

In the said notification, in the footnote after the Table, for the word and figure "1650 decitex", the word and figure "10000 decitex" shall be substituted.

[F. No. 354/326/2018-TRU (Pt.-I)] GAURAV SINGH, Dy. Secy.